

डॉ० (प्रो०) कृष्ण कुमार नाग, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, की अध्यक्षता में दिनांक-25.04.2018 (बुधवार) को संपन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 45वीं बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थिति - बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे : -

क्र०सं०	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पदनाम	उपस्थिति
1.	डॉ० (प्रो०) कृष्ण कुमार नाग, नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र	सभापति	उपस्थित
2.	श्री अच्छिलेश वाजपेयी, उप-सचिव, वित्त विभाग (वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य) झारखण्ड सरकार, रांची	पदेन-सदस्य	उपस्थित
3.	श्री सुरेन्द्र दास, अवर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य	पदेन-सदस्य के मनोनीत सदस्य	उपस्थित
4.	श्री हरे कृष्ण प्रसाद सिन्हा, (प्रख्यात शिक्षाविद)	सदस्य	उपस्थित
5.	श्री विनोद कुमार कर्ण, (से० नि० प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय)	सदस्य	उपस्थित
6.	श्री नरेन्द्र नाथ पाण्डेय, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट विद्यालय	सदस्य	उपस्थित
7.	श्री अंजनी कुमार पाठक, प्रभारी प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट	सदस्य-सचिव	उपस्थित

2. कार्यसूची की मद संख्या : 01- विगत 44वीं बैठक, दिनांक-19.02.2018 की कार्यवाही की सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई।

3. कार्यसूची की मद संख्या : 02- विगत 44वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के संदर्भ में प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव, कार्यकारिणी समिति द्वारा समर्पित कृत अनुपालन प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श किया गया। तद्बुसार, निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए समर्पित प्रतिवेदनों की सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई।

(क) अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक : 02- (ग) विद्यालय को तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा 1954 में प्रदत्त संपूर्ण जमीन व भवन सम्बन्धी दस्तावेज़ : खतियान, नक्शे इत्यादि को प्रशासनिक स्तर से प्राप्त करने हेतु श्री

कृष्ण कुमार नाग  
04.05.2018

विनोद कुमार कर्ण (पूर्व प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय) सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया गया था। उप-समिति द्वारा संपूर्ण जमीन संबंधी समेकित रिपोर्ट सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए गए थे। प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि गठित उप-समिति के सदस्यों को विद्यालय पत्रांक-602, दिनांक-24.03.2018 के माध्यम से संसूचित किया जा चुका है; जिस पर कृत कार्यवाही प्रतीक्षित है। विमर्श के क्रम में उप समिति के अध्यक्ष, द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि दस्तावेजों एवं आवश्यक कागजातों को प्राप्त करने हेतु समय-समय पर वाहन एवं अन्य आकर्षित व्ययों की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में समुचित निर्णय लिया जाना आवश्यक है ताकि कार्यों के निष्पादन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। विमर्श के क्रम में, वित्त विभाग के प्रतिनिधि सदस्य का यह मंतव्य था कि विद्यालय अथवा अन्य स्थानों पर जाने के विषय में उप-समिति के अध्यक्ष अपनी यात्रा-सम्बन्धी प्रोग्राम सभापति, कार्यकारिणी समिति, को अवगत करा दें, जिससे प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव को पूर्व सूचना तथा सभापति का निर्देश यथा समय प्राप्त हो सके ताकि इस पर होने वाले यात्रा-वाहन एवं अन्य आकर्षित व्ययों सम्बन्धी प्रतिपूर्ति करने में किसी प्रकार की समस्या या व्यवधान उत्पन्न न हो। सभी सदस्यों ने इसमें अपनी सहमति दी कि ऐसी व्यवस्था से सभी अन्य सुविधाएँ विद्यालय स्तर से सहज उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

#### (ख) अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक : 02 (ड.)

दिनांक 19.02.2018 की बैठक की कार्यवाही अनुपालन प्रतिवेदन (ड.) में विभिन्न आश्रमों/भवनों के नवनिर्माण/जीर्णोद्धार कार्य कार्यपालक अभियन्ता के आश्वासनों के बावजूद समय पर संतोषजनक रूप में नहीं हो पाए हैं। इनके विषय में गठित एक आन्तरिक जांच समिति, सभी विन्दुओं की जांच कर सभापति, कार्यकारिणी समिति को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के लिए, बनायी गई थी। इसके संयोजक प्राचार्य सह-सदस्य सचिव ही थे। उनके द्वारा दिनांक 21.4.2018 को अनुपालन सम्बन्धी प्रतिवेदन कि..... “जांच समिति के रादस्यों को विद्यालय स्तर से पत्र प्रेषित किया गया है, सदस्यों का मंतव्य प्रतीक्षित है।” संतोषप्रद अनुपालन प्रगति का सूचक नहीं है।

अतएव प्राचार्य दूरभाष से सम्पर्क कर जांच समिति के सदस्यों के साथ-साथ इन कार्यों के आकिटिकट, श्री रीमांशु हिरानी को, उनके फर्म के प्रतिनिधि, तथा ठीकेदार और अभियन्ता जिनकी देख-रेख में कार्य सम्पन्न हुए हैं उन सभी से सम्पर्क कर यथाशीघ्र जांच करने का निवेदन करें और जांच समिति की रिपोर्ट सभापति को शीघ्र उपलब्ध कराने का प्रयास करें। साथ ही संतोषजनक कार्य हो चुके हैं, इसके प्रमाण भी सभी सम्बन्धित लोगों से प्राप्त करें। अन्यथा उचित विकल्प कदम उठाने के परामर्श भी दें।

कुमार कर्ण  
4.5.2018

(अ) अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक : 10- दिनांक-19.02.2018 को प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव द्वारा 02 शिक्षकों श्री तारकेश्वर पासवान एवं सुश्री सारणी राय की सेवा संपुष्टि का प्रस्ताव रखा गया था। शिक्षकों के ACR में कुछेक बिन्दुओं को दृष्टि में रखते हुए तत्काल सेवा संपुष्टि को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया था। तथा यह निर्णय लिया गया था कि सभापति एवं अन्य सदस्य समीक्षी पदाधिकारी के रूप में विद्यालय जाकर संबंधित शिक्षकों की शिक्षण कौशल दक्षता की पुष्टि करेंगे, इसी बीच नामांकन एवं अन्य कार्यों में सभापति एवं अन्य सदस्यों की व्यस्तता के कारण उक्त कार्य शीघ्र निष्पादित नहीं हो सके। अतएव, इस संदर्भ पर निर्णय हुआ कि सभापति एवं अन्य सदस्यों के विद्यालय परिभ्रमण के उपरांत सदस्यों के अनुशंसोपरांत उक्त शिक्षकों की सेवा संपुष्टि पर विचार कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में किया जाएगा।

(ग) अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक संख्या : 11- विद्यालय के अनुशासन संबंधी कतिपय आरोपों/घटनाओं/गतिविधियों के संदर्भ में प्राचार्य को यह निर्देश हुआ कि दैनिक कार्यों का निष्पादन वे अपने स्तर से ही करेंगे, परंतु ऐसी किसी भी अभूतपूर्व या महत्वपूर्ण घटना/ गतिविधि के विषय में, जिससे विद्यालय प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता हो/होने की संभावना हो, सभापति एवं कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्यों को भी यथासमय अवगत करायेंगे; ताकि सदस्यों का उचित निर्देश प्राप्त हो सके एवं विद्यालय को सही मार्गदर्शन मिल सके।

कार्यकारिणी के सदस्य श्री विनोद कुमार कर्ण जी को सभापति ने अनुशासन सम्बन्धी कतिपय आरोपों/घटनाओं/गतिविधियों के कारण-निवारण हेतु जांच पदाधिकारी नियुक्त किया था। पर दिनांक 08.02.2018 को माननीय मुख्य मंत्री तथा सामान्य निकाय की अध्यक्ष-सह माननीया मंत्री, स्कूली शिक्षा व साक्षरता के विद्यालय परिभ्रमण में व्यस्तता के कारण यह जांच अधूरी ही रह गई थी। इसे पूरा करने के लिए, श्री कर्ण से सम्पर्क करने तथा उनके नेतरहाट ले जाने-ठहरने तथा जांच में सहयोग इत्यादि हेतु प्राचार्य को अधिकृत किया गया।

(घ) अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक : 13- माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार, नेतरहाट विद्यालय समिति के सामान्य निकाय की अध्यक्ष-सह माननीया मंत्री, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग, सहित मंत्री परिषद् के माननीय सदस्यों का दिनांक-08.02.2018 को विद्यालय परिभ्रमण हुआ तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के कुछेक महत्वपूर्ण स्तरों पर किए गए उद्घोषणा के आलोक में प्राचार्य द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि शैले को हस्तगत लेने हेतु विद्यालय कार्यालय पत्रांक-232, दिनांक-10.02.2018 के माध्यम से उपायुक्त, लातेहार को पत्र संप्रेषित किए जा चुके हैं, जिस पर कृत कार्रवाई जिला प्रशासन, लातेहार स्तर से प्रतीक्षित है। इस पर सभापति द्वारा प्राचार्य को निर्देश दिए गए कि

कुछेक अन्य घोषणाएँ भी, जैसे : Indoor Stadium का निर्माण, कम्प्यूटर एवं अन्य प्रोफेसनल कोर्स हेतु उच्च-स्तरीय शिक्षा की आधारभूत संरचनाओं का विकास, कृषि केन्द्र का निर्माण इत्यादि समिलित हैं। अतएव, प्राचार्य विद्यालय के संबंधित शिक्षकों/विभागों को अविलम्ब विस्तृत Project Report तैयार करने का निर्देश दें जिसे स्थानीय प्रबन्धन समिति के विचारोपरान्त सभापति को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसपर कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ विमर्श कर माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा को यथाशीघ्र धरातल पर उतारने के कार्य किये जा सकें।

4. **कार्यसूची की मद संख्या :** 03- विद्यालय में Artificial Intelligence & Robotics की विद्यालय में पढ़ाई शुरू करने से संबंधित प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव द्वारा समर्पित प्रस्ताव जिसमें यह उल्लेख था कि छात्रों में तकनीकी कौशल के विकास हेतु Artificial Intelligence & Robotics महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करता है साथ ही छात्रों के कैरियर के लिए सुनहरा अवसर भी प्रदान करता है। इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव को निर्देश हुआ कि एक विस्तृत Project Report तैयार कर एक महीने के अंदर सभापति, कार्यकारिणी समिति को उपलब्ध करायेंगे ताकि छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए बहुत स्तर पर निर्णय लिया जा सके। प्राचार्य इस कार्य के लिए विद्यालय में Artificial Intelligence & Robotics की पढ़ाई शुरू करने के निमित्त कम्प्यूटर में लचि रखने वाले शिक्षकों/व्यवित्तयों को इसको कार्यान्वयन के लिए आवश्यक इन्फारेडक्चर तथा उपकरणों/संसाधन की आवश्यकता सम्बन्धी कार्य-दायित्व सौंप देंगे ताकि समय Report कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जा सके।
5. **कार्यसूची की मद संख्या :** 04- विद्यालय में प्राचार्य पद की नियुक्ति हेतु सभापति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि समिति के कार्यालय पत्रांक-14, दिनांक-24.02.2018 के माध्यम से विज्ञप्ति का प्रकाशन Employment News एवं IPRD, झारखण्ड के माध्यम से स्थानीय सामाचार पत्रों में किया गया था। आवेदन की अंतिम तिथि 31.03.2018 तक निर्धारित थी। विभिन्न आवेदकों से आवेदन समिति कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिस पर समिति की नियुक्ति सेवा-शर्त तथा अनुशासन नियमावली-2011 के विहित प्रावधानानुसार स्क्रीनिंग एवं चयन समिति का गठन किया जाना है। सम्यक् विचारोपरान्त समिति नियमावली की कंडिका-4 ( b) के तहत स्क्रीनिंग समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। स्क्रीनिंग समिति अपना रिपोर्ट सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति को उपलब्ध करायेगी।

नियमावली की कंडिका-4 ( d) के अनुरूप चयन समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया। स्क्रीनिंग समिति तथा चयन समिति के सदस्यों के नाम साक्षात्कार लिए जाने के पूर्व तक गोपनीय रखे जाने के कारण उनके नाम यहां इंगित नहीं किए जा रहे हैं।

कृष्ण तुमारा पा  
4.5.2018

स्क्रीनिंग के पूर्व प्राचार्य की उम्र सीमा में आवश्यक संशोधन हेतु सभापति द्वारा एक अनुरोध सामान्य निकाय समिति के अध्यक्ष-सह माननीय मंत्री, रकूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार से किये जाने का निर्णय लिया गया। माननीय अध्यक्ष से आवश्यक यथा निर्देश प्राप्त करते हुए तदनुसार, नियमावली के तहत स्कूटनी कार्य किया जाएगा। स्क्रीनिंग समिति एवं चयन समिति के सदस्यों की नियुक्ति संबंधी आदेश सभापति अपने स्तर से निर्गत करेंगे।

6. **कार्यसूची की मद संख्या :** 05- विद्यालय के चिकित्सा पदाधिकारी, डॉ राजेश कुमार, प्राचार्य को संसूचित किए बिना दिनांक-20.03.2018 को नेतरहाट से प्रस्थान कर घर चले गए थे। जिसकी सूचना उन्होंने बाद में प्राचार्य को दूरभाष पर दिया था। इस संबंध में प्राचार्य द्वारा उन्हें पत्र प्रेषित किया गया तथा इसकी जानकारी सभापति को दी थी। सभापति के आदेशानुसार प्राचार्य ने विद्यालय कार्यालय पत्रांक-699, दिनांक-17.04.2018 के द्वारा उन्हें कार्यकारिणी समिति की 45 वीं बैठक में रांची आने हेतु अनुरोध भी किया। बैठक के पूर्व प्राचार्य द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि डॉ राजेश कुमार ने बैठक में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। इसके साथ ही सूचित किया कि दिनांक-24.04.2018 को डॉ राजेश कुमार ने ई-मेल माध्यम से अपना त्याग पत्र विद्यालय को सौंप दिया है।

सम्यक् विचारोपरांत चिकित्सा पदाधिकारी के उक्त त्याग पत्र को स्वीकृत किया गया एवं एतद् सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रियाओं के अनुपालन हेतु प्राचार्य को अधिकृत किया गया।

इसके साथ ही, विद्यालय हित में चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति की अति आश्यकता को ध्यान में रखते हुए, डाक्टर नियुक्ति की पैनल सूची के दूसरे उम्मीदवार, डा. कमलेश प्रसाद, को यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र भेजने का निर्देश प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव को दिया गया।

7. **कार्यसूची की मद संख्या :** 06- तृतीय वर्गीय कर्मियों के कुछेक पदों यथा-कृषि प्रशिक्षक, प्रयोगशाला भंडारी, पत्राचार लिपिक, व्यायाम प्रशिक्षक एवं आशुलिपिक के पदों पर अंतर्वक्षा दिनांक-07.04.2018 से 10.04.2018 एवं 14.04.2018 से 16.04.2018 तक समिति कार्यालय, रांची में आहूत की गई थी। चयन समिति के अनुशंसित प्रतिवेदन को सर्वसम्मति से संपुष्ट किया गया।

इसी पैनल सूची के प्रथम चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्राचार्य द्वारा भेजा जाना है, किन्तु इसे तत्काल स्थगित व गोपनीय रखा जाय क्योंकि यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 12.08.2017 को पत्र सं. 1446 द्वारा नियुक्ति हेतु कुल 9 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था, किन्तु इन्हीं में से दो पदों : Librarian - 1 पद तथा Typist-cum-Computer Operator - 1 पद का इतने दिनों के बीत जाने के बाद भी

स्कीनिंग ही नहीं हुआ है, जो नियमावली के तहत विद्यालय र्तर से ही होना था। अतः यथाशीघ्र इन पदों के लिए आए हुए आवेदनों का स्कीनिंग विद्यालय र्तर कर लिया जाय। तदुपरान्त अविलम्ब रांची में उन्हीं सदस्यों की चयन समिति से साक्षात्कार ले लिए जाय ताकि चयन समिति की अनुशंसा कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में निर्णय हेतु रखी जा सके। इसके बाद इन सभी पदों की नियुक्ति हेतु पत्र निर्गत किए जाय, जिसके पूर्व आरक्षण सम्बन्धी रोटर नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों का प्रशासी विभाग से अनुशंसा प्राप्त कर ली जाय।

8. **कार्यसूची की मद संख्या :** 07- नव-नियुक्त 06 शिक्षकों की वरीयता सूची के विचार-विमर्श के क्रम में समिति की नियुक्ति सेवा शर्त तथा अनुशासन नियमावली-2011 के पृष्ठ-35 कंडिका-5 के अनुपालन में मेधा सूची के आधार पर नव नियुक्त शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| (1) श्री रवीश कुमार          | (4) सुश्री दीप्ति कुल्लू  |
| (2) श्री अनुल रंजन एकका      | (5) श्री शिशुपाल महतो     |
| (3) श्री राजेश चन्द्र गुप्ता | (6) सुश्री जया नलिनी एकका |

प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव निर्धारित वरीयता सूची संबंधी आदेश अपने र्तर से निर्गत कर देंगे।

9. **कार्यसूची की मद संख्या :** 08- सत्र 2018-19 के प्रवेश परीक्षा के निर्धारित कार्यक्रमों की रूप रेखा संबंधी प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव द्वारा समर्पित प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर निर्धारित तिथिवार कार्यक्रमों को निम्न प्रकार स्वीकृति दी गई।

क्र०सं०	विवरणी	सत्र-2018-19 के अनुमोदित कार्यक्रमों की सूची
1.	विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि	मई माह के तृतीय सप्ताह तक
2.	आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	31.07.2018
3.	आवेदन पत्र स्कूलनी एवं प्रवेश पत्र निर्गत करने की अंतिम तिथि	31.08.2018
4.	प्रारंभिक परीक्षा (जिला मुख्यालय)	23.09.2018
5.	प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशन की संभावित तिथि	05.10.2018 से 10.10.2018
6.	मुख्य परीक्षा (प्रमण्डलीय मुख्यालय)	28.10.2018
7.	मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशन की संभावित तिथि	20.12.2018 से 25.12.2018

प्रवेश परीक्षा का फॉर्म Online एवं Offline दोनों ही प्रकार से प्रकाशित किए जाने का निर्णय लिया गया, साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश निर्धारित कार्यक्रमों में दूसरे अन्य संस्थानों के कार्यक्रमों को भी ध्यान में रखा जाय ताकि अधिक से अधिक संख्या में

कुमार कुमार  
4.5.2018

प्रवेश परीक्षा में छात्र समिलित हो सकें। सत्र 2018-19 का आवेदन शुल्क पूर्व सत्र की भाँति ही रखे जाने का निर्णय लिया गया।

10. कार्यसूची की मद संख्या : 09- नये शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरांत वर्तमान में रिक्त पदों की यथा स्थिति रोस्टर पंजी के अनुसार निर्धारण कर समेकित प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु प्राचार्य को निर्देश दिया गया।
11. कार्यसूची की मद संख्या : 10 - संविदा पर कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के भत्ता एवं वेतनादि के संबंध में विचार-विमर्श के कम में निर्णय हुआ कि इस सम्बन्ध में प्राचार्य, कार्यकारिणी समिति के सदस्य श्री अखिलेश वाजपेयी जी (जिन्हें बैठक के दौरान ही सरकार के उच्चाधिकारी की बुलाहट पर बाहर जाना पड़ा था) से राज्य सरकार के इनके ही समान कर्मियों के भत्ता एवं वेतनादि के संबंध में वर्तमान देय राशियों को ज्ञात कर लें ताकि उसी के अनुरूप नियमानुकूल विद्यालय के इन संविदा पर रखे गए कर्मियों का व्यायोचित भुगतान यथाशीघ्र किया जा सके।
12. कार्यसूची की मद संख्या : 11- विद्यालय के वेबसाईट संबंधी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श एवं निर्णय हेतु कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति के द्वारा उप-समिति का गठन किया गया था। उप समिति की बैठक दिनांक-06.04.2018 को समिति कार्यालय में आहूत की गई थी। उप समिति के समेकित प्रतिवेदन को सम्यक विचारोपरांत अंगीकृत किया गया। तदनुसार, प्राचार्य को निर्देश हुआ कि उप-समिति के प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र करेंगे।
- उप-समिति की अनुशंसा के अलावे एजेन्डा नोट संख्या -11 में प्राचार्य द्वारा लिखित (क) से (ड.) तक के विन्दुओं को समाहित करते हुए श्री भूषण कुमार को Registered A/D वाले पत्र के माध्यम से पत्र भेज दिया जाय कि पत्र-प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर यदि वे कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण नहीं कर देते तो बाध्य होकर उनके फर्म को ब्लैकलिस्ट करते हुए उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाई की जायेगी।
13. कार्यसूची की मद संख्या : 12- कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की दिनांक-08.11.2017 की कार्यवाही कंडिका 11(ii) दैनिक मजदूरों के साप्ताहिक अवकाश एवं वेतनादि संबंधी निर्णय को प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव द्वारा समर्पित प्रस्ताव के आधार पर कतिपय परिमार्जन के साथ स्वीकृति दी गई। तदनुसार, प्राचार्य अपने स्तर से कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चक्रानुक्रम से साप्ताहिक अवकाश का निर्धारण करेंगे एवं वेतन वज भुगतान वास्तविक कार्य-दिवस के आलोक में ही किया जाएगा।
14. कार्यसूची की मद संख्या : 13- व्यायाम प्रशिक्षक एवं कृषि प्रशिक्षक की अंतर्वीक्षा दिनांक-07.04.2018 एवं 08.04.2018 तक समिति

कार्यालय, रांची में आहूत थी। इन पदों के लिए विशेषज्ञ सदस्य के रूप में निम्न सदस्यों को आमंत्रित किया गया था।

1. डॉ० के०के० कुमार - कृषि प्रशिक्षक  
पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी केन्द्र, प्लान्हू, रांची  
64, कुँवर सिंह कॉलोनी,  
हिनू, राँची।
2. श्री प्रमोद कुमार - व्यायाम प्रशिक्षक  
विवेकानन्द विद्या मंदिर,  
सेकटर-०२, राँची।

अंतर्वीक्षा में इन विशेषज्ञ-सदस्यों की उपस्थिति की सर्वसम्मति से संपुष्ट की गई।

#### 15. कार्यसूची की मद संख्या : 14-

अन्यान्य - (1) सामान्य निकाय समिति, कार्यकारिणी समिति, के सभी गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु निर्धारित मानदेय राशि देने का निर्णय कार्यकारिणी समिति की दिनांक-०१.०३.२०१४ की बैठक में पारित है। इसके अलावा समय-समय पर कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संदर्भ में विचार-विमर्श एवं निर्णय हेतु कार्यकारिणी समिति द्वारा उप-समितियों का भी गठन किया जाता है। अतएव, ऐसी गठित उप-समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों को प्रति बैठक २०००/- देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय भूतलक्षी प्रभाव से मान्य होगा।

(2) श्री मुकेश कुमार, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा एक वरीय अधिवक्ता, श्री अनिल कुमार को दो विभिन्न तिथियों में प्रतिधारण शुल्क ३५,०००/- की दर से ७०,०००/- भुगतान हेतु अनुरोध किया गया था। संबंधित संचिका के अध्ययनोंपरांत पाया गया कि पूर्व सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति एवं पूर्व प्राचार्य, सठ-सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा श्री अनिल कुमार को प्रतिधारण रूप ३५,०००/- देने का निर्णय लिया गया था। इस पर प्राचार्य को यह निर्देश प्राप्त हुआ कि श्री मुकेश कुमार से उनके द्वारा वर्णित दो तिथियों अर्थात् २३.०३.१८ एवं २४.०४.१८ में श्री अनिल कुमार के Appearance संबंधी कागजात मांग लिया जाय एवं कागजात प्राप्त होने के उपरांत इस पर पूर्व सभापति के निर्णयानुसार देय का भुगतान किया जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि श्री मुकेश कुमार को पत्र के माध्यम से संसूचित कर दिया जाय कि किसी भी वाद या केश में किन्हीं भी वरीय अधिवक्ता को तत्काल प्रभाव से न रखे जाने का निर्णय कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा लिया गया है। श्री मुकेश कुमार को एक पत्र संप्रेषित किया जाय जिसमें लंबित वादों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाय।

(3) सामान्य निकाय समिति एवं कार्यकारिणी समिति के वे सदस्य जो राज्य मुख्यालय से बाहर के हैं उन्हें हवाई यात्रा संबंधी भुगतान किये

कृष्ण ठाकुर  
4.5.2018

जाने के विचार-विमर्श के क्रम में प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि तत्संबंधी विषयक निर्देश प्रशासी विभाग के रूप से किये जाने का निर्णय प्रतीक्षित है। सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय हुआ कि चूंकि सभी सदस्य वरिष्ठ नागरिक के श्रेणी में आते हैं एवं वे महत्वपूर्ण पदों से सेवा-निवृत हो चुके हैं; साथ ही इनकी सदस्यता सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, अतएव, जब तक विभागीय रूप से कोई अन्यथा निर्देश प्राप्त नहीं होता है तब तक उन्हें हवाई यात्रा का भुगतान पूर्व की भाँति किया जाता रहे।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

कृष्ण कुमार नाग  
4.5.2018

(कृष्ण कुमार नाग)  
सभापति  
कार्यकारिणी समिति  
नेतरहाट विद्यालय समिति।